भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2009

उत्तर देने की तारीख-19/12/2022

वर्तमान शिक्षा प्रणाली में कमियां

†2009. प्रो. सौगत राय:

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या भारत की शिक्षा प्रणाली, व्यावहारिक और कौशल आधारित से अधिक सैद्धांतिक है;
(ख) यदि हां, तो मौजूदा शिक्षा प्रणाली की कमियों का ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या वर्तमान पाठ्यक्रम की कमियों का अध्ययन करने और वर्तमान स्थिति के अनुसार इसे संशोधित करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति गठित करने का कोई प्रस्ताव है;
(घ) क्या रबीन्द्रनाथ टैगोर ने शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन के लिए सुझाव देते हुए कई लेख लिखे थे; और
(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और देश की कल्याण और समृद्धि के लिए संपूर्ण शिक्षा प्रणाली में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्रीमती अन्नपूर्णा देवी)

(क) और (ख): राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) ने सूचित किया है कि भारतीय शिक्षा प्रणाली एक विकसित प्रणाली है। अब तक प्रणाली में तीन शिक्षा नीतियाँ लाई गई हैं। वर्तमान शिक्षा प्रणाली राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनपीई), 1986 पर आधारित है, जिसमें स्कूली शिक्षा के चरणों में शिक्षाशास्त्र में कम भेदभाव के साथ 10 + 2 शिक्षा योजना को बढ़ावा दिया गया।

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने सूचित किया है कि सीबीएसई ने प्रत्येक प्रमुख विषय के पाठ्यक्रम में प्रायोगिक पहलुओं के एकीकरण को अनिवार्य कर दिया है। प्रायोगिक कार्य पूरे वर्ष किया जाता है और आंतरिक मूल्यांकन के भाग के रूप में मूल्यांकन किया जाता है। प्रदर्शन-आधारित आंतरिक मूल्यांकन के लिए विषयों को कम से कम 20 प्रतिशत वेटेज दिया गया है और यह विषय की प्रकृति के साथ बढ़ता है। बोर्ड ने अपने स्कूलों को कला और खेल के एकीकरण, गेमीफिकेशन और ऐप्स को शामिल करने,

सांस्कृतिक पहलुओं जैसे फिल्म, थिएटर, कहानी सुनाना, कविता और संगीत के आपसी तालमेल और अन्तर-विषय संयोजन प्राप्त करने जैसे नवाचारी तरीकों के माध्यम से प्रायोगिक शिक्षण का प्रयोग करने के लिए परामर्श दिया है। भाषाओं और अकादमिक विषयों के अलावा, सीबीएसई कक्षा VI-VIII के लिए 11 कौशल मॉड्यूल, कक्षा IX-X में 19 कौशल-आधारित विषय और कक्षा XI-XII में 39 कौशल-आधारित विषय प्रदान करता है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने सूचित किया है कि ज्ञान की प्रासंगिकता सुनिश्चित करने, कौशल अंतराल की पहचान करने और समकालीन जरूरतों के लिए विशेष कार्यक्रम शुरू करने के लिए शैक्षिक सुधार एक सतत प्रक्रिया है। यूजीसी ने भारत में उच्च शिक्षा में अकादमिक सुधार लाने के लिए अनेक पहल की हैं। अपने गुणवत्ता अधिदेश के तहत, यूजीसी ने 'अधिगम परिणाम' के आधार पर पाठ्यक्रम को संशोधित करने का संकल्प लिया, जो भारत में गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने की दिशा में एक प्रयास है। अधिगम परिणाम-आधारित पाठ्यचर्या की रूपरेखा (एलओसीएफ) न केवल उच्च शिक्षा में ज्ञान प्रसार पर बल्कि क्षेत्र और प्रयोगशाला कार्य के माध्यम से ज्ञान के अनुप्रयोग पर भी ध्यान केंद्रित करते हुए छात्रों के लिए अधिक समग्र अनुभव की दिशा में कार्य करती है।

(ग): एनपीई, 1986 के 34 वर्षों के बाद, राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 को मौजूदा प्रणाली की कमियों का विश्लेषण करने और इसकी चुनौतियों का समाधान करने के लिए भावी मार्ग प्रशस्त करने के लिए लाया गया है। एनईपी 2020 ने पाठ्यक्रम और शिक्षाशास्त्र में परिवर्तन लाने के लिए 10 + 2 सिस्टम को 5 + 3 + 3 + 4 सिस्टम में शिफ्ट करने की सिफारिश की है। एनईपी, 2020 चार राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क अर्थात, स्कूली शिक्षा, प्रारंभिक बाल्यकाल देखभाल और शिक्षा, शिक्षक शिक्षा और प्रौढ़ शिक्षा की रूपरेखाओं के विकास की सिफारिश करती है। यूजीसी ने 31 विषयों के लिए अधिगम परिणाम आधारित पाठ्यचर्या की रूपरेखा विकसित करने के लिए 31 विशेषज्ञ समितियों का गठन किया है।

(घ) और (ङ): रवींद्रनाथ टैगोर ने बच्चे की प्रकृति, शिक्षाशास्त्र, परीक्षा प्रणाली आदि पर लेख लिखे हैं। प्राचीन और शाश्वत भारतीय ज्ञान और विचार की समृद्ध विरासत एनईपी, 2020 के लिए एक पथ-प्रदर्शक रही है। एनईपी, 2020 में स्कूली शिक्षा के साथ-साथ उच्च शिक्षा में कार्यान्वयन के लिए कई कार्य बिंदुओं/गतिविधियों की परिकल्पना की गई है, जिनमें शामिल हैं:

(i) प्री-प्राइमरी स्कूल से ग्रेड XII तक स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों पर सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करना;
(ii) 3-6 वर्ष के सभी बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा सुनिश्चित करना;
(iii) नई पाठ्यचर्या और शैक्षणिक संरचना (5+3+3+4);
(iv) व्यावसायिक और शैक्षणिक धाराओं के बीच, पाठ्यचर्या और पाठ्येतर गतिविधियों के बीच, कला और विज्ञान के बीच कोई कठिन अलगाव नहीं;

(v) बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान पर राष्ट्रीय मिशन की स्थापना;

(vi) बहुभाषावाद और भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने पर बल; शिक्षा का माध्यम कम से कम ग्रेड 5 तक, लेकिन अधिमानतः ग्रेड 8 और उससे आगे गृह भाषा/मातृभाषा/स्थानीय भाषा/क्षेत्रीय भाषा होगी।

(vii) मूल्यांकन सुधार - किसी दिए गए स्कूल वर्ष के दौरान दो अवसरों पर बोर्ड परीक्षा, एक मुख्य परीक्षा और एक सुधार के लिए, यदि वांछित हो;

(viii) एक नए राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र, परख (समग्र विकास के लिए प्रदर्शन मूल्यांकन, समीक्षा और ज्ञान का विश्लेषण) की स्थापना;

(ix) समान और समावेशी शिक्षा - सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित समूहों (एसईडीजी) पर विशेष बल दिया गया;

(x) वंचित क्षेत्रों और समूहों के लिए एक पृथक जेंडर समावेशन कोष और विशेष शिक्षा क्षेत्र;

(xi) शिक्षकों की भर्ती और योग्यता आधारित प्रदर्शन के लिए सुदृढ़ और पारदर्शी प्रक्रिया;

(xii) स्कूल परिसरों और समूहों के माध्यम से सभी संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करना;

(xiii) राज्य स्कूल मानक प्राधिकरण (एसएसएसए) की स्थापना;

(xiv) स्कूल और उच्च शिक्षा प्रणाली में व्यावसायिक शिक्षा के अवसर प्रदान करना;

(xv) उच्च शिक्षा में जीईआर को 50% तक बढ़ाना;

(xvi) एकाधिक प्रवेश/निकास विकल्पों के साथ समग्र बहु विषयक शिक्षा;

(xvii) एचईआई में प्रवेश के लिए एनटीए सामान्य प्रवेश परीक्षा प्रदान करेगा;

(xviii) अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट की स्थापना;

(xix) बहु-विषयक शिक्षा और अनुसंधान विश्वविद्यालयों (एमईआरयू) की स्थापना;

(xx) नेशनल रिसर्च फाउंडेशन (एनआरएफ) की स्थापना;

(xxi) शिक्षक शिक्षा को शामिल करके और चिकित्सा और कानूनी शिक्षा को छोड़कर उच्च शिक्षा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए एकल व्यापक अम्ब्रेला निकाय- भारतीय उच्च शिक्षा आयोग (एचईसीआई) - मानक सेटिंग के लिए स्वतंत्र निकायों के साथ- सामान्य शिक्षा परिषद; वित्त पोषण-उच्च शिक्षा अनुदान परिषद (एचईजीसी); प्रत्यायन- राष्ट्रीय प्रत्यायन परिषद (एनएसी); और विनियमन- राष्ट्रीय उच्च शिक्षा नियामक परिषद (एनएचईआरसी);

(xxii) जीईआर बढ़ाने के लिए मुक्त और दूरस्थ शिक्षा का विस्तार।

(xxiii) शिक्षा का अंतर्राष्ट्रीयकरण।

(xxiv) व्यावसायिक शिक्षा उच्च शिक्षा प्रणाली का अभिन्न अंग होगी। स्टैंड-अलोन तकनीकी विश्वविद्यालय, स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, कानूनी और कृषि विश्वविद्यालय, इन क्षेत्रों या अन्य क्षेत्रों में संस्थान, बहु-विषयक संस्थान बनने का लक्ष्य रखेंगे।

(xxv) शिक्षक शिक्षा - 4 वर्षीय एकीकृत स्तर-विशिष्ट, विषय-विशिष्ट बी.एड.

(xxvi) मेंटरिंग के लिए एक राष्ट्रीय मिशन की स्थापना।

(xxvii) अधिगम, मूल्यांकन, योजना, प्रशासन को बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग पर विचारों के मुक्त आदान-प्रदान के लिए एक मंच प्रदान करने के लिए एक स्वायत्त निकाय राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी मंच (एनईटीएफ) का सृजन। शिक्षा के सभी स्तरों में प्रौद्योगिकी का उचित एकीकरण।

(xxviii) 100% युवा और प्रौढ़ साक्षरता प्राप्त करना।

(xxix) नियंत्रण और संतुलन के साथ अनेक तंत्र उच्च शिक्षा के व्यावसायीकरण का सामना करेंगे और उसे रोकेंगे।

(xxx) सभी शिक्षा संस्थानों को 'अलाभकारी' इकाई के रूप में लेखापरीक्षा और प्रकटीकरण के समान मानकों पर रखा जाएगा।

(xxxi) केंद्र और राज्य शिक्षा क्षेत्र में सार्वजनिक निवेश को जल्द से जल्द जीडीपी के 6% तक पहुंचाने के लिए मिलकर कार्य करेंगे।

(xxxii) गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर समग्र ध्यान देने के लिए समन्वय सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड को सुदृढ़ करना।

****